

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :::: मांगेराम पूनियां, R.T.S.
मिसल नं. :::: 48/2017

सरकार बनाम सन्तलाल, मदनलाल पि. हनुमान, जाति-
जांगिड़, निवासी- अडूका

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 17.07.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान बावजूद सूचना अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान सन्तलाल, मदनलाल पि. हनुमान, जाति-जांगिड़, निवासी- अडूका द्वारा रोही मौजा अडूका की राजकीय भूमि ख.नं. 31 कुल रकबा 1.05 है० किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 50 वर्गमीटर भूमि पर मिट्टी की डोल बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः गैर सायलान के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं० 09 पर
वर्ष 2017-18 में रूपये 51 कायम किए
(2014) राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़